

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

166
2

// विविध आदेश //

क्रमांक 20 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 27 / 01 / 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संतोष चौहान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय में लंबित अपंजीकृत पुनरीक्षण याचिका मो0 ईदरीश वि0 मणिराज विश्वकर्मा को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संजय वर्मा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

Sd/
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 460 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 27 / 01 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. श्री संतोष चौहान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की ओर मूल अपंजीकृत पुनरीक्षण प्रकरण मो0 ईदरीश वि0 मणिराज विश्वकर्मा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. श्री संजय वर्मा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

27/1/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)